न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 45/2023 GCMS No.–2017/00133

कजोड पुत्र सर्वा उर्फ सरवा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. कैलाशी पत्नी श्री प्रभुदयाल जाति मीणा निवासी बेरियां मीणा की बस्ती, औंडा महादेव के पास, नाहरी का नाका, शास्त्रीनगर, जयपुर। (मृतक दौराने अपील दिनांक 22.11.2016)

1/1. प्रभुदयाल पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति मीणा निवासी बेरियां मीणा की बस्ती, औंडा महादेव के पास, नाहरी का नाका, शास्त्रीनगर, जयपुर।

1/2. लोकेश कुमार मीणा पुत्र प्रभुदयाल जाति मीणा, निवासी बेरियां मीणा की बस्ती, औंडा महादेव के पास, नाहरी का नाका, शास्त्रीनगर, जयपुर।

1/3 नवरतन मीणा पुत्र प्रभुदयाल जाति मीणा, निवासी बेरियां मीणा की बस्ती, औंडा महादेव के पास, नाहरी का नाका, शास्त्रीनगर, जयपुर।

1/4 ममता पुत्री प्रभुनारायण पत्नी गजानन्द (पुत्र रामलाल) जाति मीणा पानी की टंकी के पास, ग्राम मुंडिया, तहसील निवाई, जिला टोंक

1/5 मोहिनी पुत्री प्रभुनारायण पत्नी दीपक (पुत्र रामलाल) जाति मीणा पानी की टंकी के पास, ग्राम मुंडिया, तहसील निवाई, जिला टोंक

1/6 रेखा पुत्री प्रभुनारायण जाति मीणा निवासी बेरियां मीणा की बस्ती, औंडा महादेव के पास, नाहरी का नाका, शास्त्रीनगर, जयपुर।

2. तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 665 दिनांक 22.12.2010 बाबत खसरा नंबर 738, 739 स्थित ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर

उपस्थितः–

1. श्री योगेन्द्र सिंह राजावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुबोध कुमार जैन अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1/1 लगायत 1/6 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.09.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 22.12.2010 जिससे नामान्तरकरण संख्या 665 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर तस्दीक किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.10.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पा0 संख्या 1/1 लगायत 1/6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार जैन उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। मूल नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट एवं रेस्पा0 संख्या 1 सगे भाई–बहिन है व स्वर्गीय सर्वा उर्फ सरवा एवं मंगला देवी की जायन्दा सन्ताने है। उभय पक्षकारान मीणा जाति से है व अनुसूचित जनजाति में आते है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 738 रकबा 0.15 है0, 739 रकबा 0.17 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर में स्थित है। उक्त भूमि के अपीलांट के पिता सर्वा उर्फ सरवा खातेदार काश्तकार थे। अपीलाधीन भूमि के खातेदार काश्तकार स्व. सर्वा उर्फ सरवा की दिनांक 14.12.2002 को मृत्यु हो जाने पर उक्त भूमि अन्य भूमियों के साथ ही सर्वा उर्फ सरवा के विधिक वारिसान अपीलांट व उसकी माता मंगली देवी के नाम से जरिये नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 24.05.2004 बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्से में दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार उक्त खसरा नंबरान की भूमि में अपीलांट का हिस्सा 1/2 हिस्सा एवं अपीलांट की माता मंगली देवी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ग्राम सिरोली स्थित अपीलांट के पिता की अन्य भूमियो का नामान्तकरण अपीलांट की माता एवं अपीलांट के हिस्से में खुला था एवं अपीलांट की माता के स्वर्गवास के पश्चात अन्य भूमियों में माता के हिस्से की भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 599 दिनांक 06.10.2010 अपीलांट के नाम दर्ज कर दी गयी। किन्तु खसरा नंबर 738, 739 के संबंध में अपीलांट की माता के हिस्से की भूमि के संबंध में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 665 भरते हुए अपीलांट की माता के 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि अपीलांट के नाम से तथा 1/2 हिस्से की भूमि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दी गई। अपीलांट व रेस्पा0 अनूसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं अनूसुचित जनजाति सदस्यों में एवं परिवार में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (उपधारा 2) के तहत मीणा जनजाति के व्यक्तियों पर उक्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए स्व. मंगली देवी के देहांत के बाद उनके विरासत में छोडी गई सम्पत्ति के कानूनी वारिसान केवल मात्र अपीलांट ही है। मीणा जाति एवं अपीलांट के परिक्षेत्र में प्रचलित रूढी प्रथाओं व रीति रिवाज के अनुसार पुत्रीयों को पिता की सम्पत्ति में मालिकाना हक विरासत में प्राप्त नहीं होता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही आलौच्य आदेश दिनांक 22.12.2010 पारित कर दिया जो सरसरी तौर पर ही अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित खसरा नंबर 738, 739 के अलावा शेष अन्य आराजी का अपीलांट की माता मंगली देवी के देहान्त के पश्चात अपीलांट के नाम से नामान्तकरा खुल चुका था एवं रेस्पा0 संख्या 1 ने उक्त आराजी में से कुछ खसरा नंबर की भूमि के राजस्थान आवासन मंडल की अवाप्ति कार्यवाही के समय स्वयं का माता–पिता की सम्पत्ति से कोई संबंध सरोकार न होने व मुआवजा प्राप्ति की अधिकारी न होने के संबंध में अपीलांट के हक में हक त्याग पत्र भी

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निष्पादित कर दिया था इस कारण अपीलांट को यह विश्वास था कि उसके माता–पिता की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण उसके नाम से खुल चुका है व अपीलांट निश्चिंत हो गया व उसने भूमि के राजस्व रिकॉर्ड बाबत आगे कोई जानकारी नहीं की। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा ए.डी.जे. 19 (वर्तमान ए.डी.जे. 10 सांगानेर) के समय दायर वाद उनवानी कैलाशी बनाम कजोड के सम्मन प्राप्त हुये तब अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुई। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2010 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 665 वाके ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **RRT 2023(1) Page 137 SC, RRT 2021 (1) Page 705, AIR 2014 CHHATISGARH PAGE 110, D.N.J. 2014(3) Raj. Page 1050, AIR 1991 SCP- 3614** आदि पेश किये।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1/1 लगायत 1/6 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं स्व. मंगली के वारिसान के हक में तस्दीक किया है। रेस्पा0 संख्या 1 स्व. मंगली देवी की जायन्दा पुत्री है जिनका भी अपने पिता की भूमि में हक अधिकार निहित है। अपीलांट द्वारा मियाद बाहर अपील पेश की गयी है इसलिए अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं विधिक वारिसान के हक में ही तस्दीक किया गया जो निमयानुसार उचित है, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पा0 मियाद के बिन्दु पर एवं अपील के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्व. मंगली देवी की विरासत के आधार पर उसके जायन्दा वारिसान के हक में तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजात के आधार पर अपीलांट द्वारा न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 665 वाके ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर द्वारा निर्णित दिनांक 22.12.2010 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि की खातेदार काश्तकार मंगली देवी पत्नी सर्वा का विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का भरा गया। जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा आदेश दिनांक 22.12.2010 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के हक में तस्दीक किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति (मीणा) के सदस्य है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई भी कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. मंगली देवी के फौत होने पर उसकी खातेदारी भूमि का नामान्तकरण उसकी जायन्दा पुत्र, पुत्री के हक में तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व संशोधन अधिनियम 2005 तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 2 (उपधारा 2) के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थो के अन्दर आने वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यो को तब तक लागू नहीं होगी तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करें। इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6091/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2022 अनुसार **Daughters belonging to Schudeuled Tribe cannot claim any right in the property of father and therefore we hope and trust that the Central Government will look into the matter and take an appropriate decision taking into consideration the right to equality guaranteed under articles 14 and 21 of the constitution of India. According to 2021(1) RRT 705 Raj. High court- Hindu succession Act is not applicable in case of persons belonging to Scheduled Tribe.** अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर द्वारा स्व. मंगली देवी की पुत्री के नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया है जबकि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति से होने के कारण पुत्रियों को वर्तमान में पिता की सम्पत्ति में उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतो अनुसार हक अधिकार नहीं होना प्रतीत होता है। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर द्वारा विरासत के आधार पर भरे गये नामान्तकरण में खातेदार काश्तकारों के अनुसचित जनजाति से संबंधित होने के तथ्य पर गौर किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया जो नियमानुसार उचित नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर का आदेश दिनांक 22.12.2010 बाबत नामान्तरकरण संख्या 665 वाके ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को इस निर्देश के साथ (**Remand**) प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, उपरोक्त तथ्यो की रोशनी में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर